तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
22.12.17	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। इसके अलावा तनकीयात मिसल दिनांक 11.1.18 को पेश हो। hs SDO Sarwar	
11.1.18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। पी.ओ. साहब नहीं पधारे है मिसल दिनांक 8.2.18 को पेश होवे।	
8.2.18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। पी.ओ. साहब नहीं पधारे है मिसल दिनांक 31.3.18 को पेश होवे।	
2.4.18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। तनकी कायम की गई। मिसल दिनांक 9.4.18 को वास्ते शहादत वादी पेश हो। दिनांक 31.3.18 का अवकाश होने से आज ली गई। SDO Sarwar	
	9.4.18 पत्रावली पेश हुई। न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व केम्प में राजीनामा हेतु दिनांक 31/5/18 ग्रां.पं. केकड़िया को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सरवाड़	
31-05-18	पत्रावली पेश हुई वकिल वादी हाजिर पत्रावली का अवलोकन किया। वकिल वादी को सुना ग्राम कल्याणपुरा की जमाबंदी की खाता संख्या नया-पुराना 87-230 खसरा न. 1104 रकबा 9-15-00 बारानी 3 तथा खाता सं. - 91-88 खसरा न. 1103 रकबा 8 बीघा बारानी 3 तथा खाता सं. 76-165 खसरा न. 1551/1103 रकबा 3-13-00 किस्म बारानी 3 पूर्वजों के समय से ही वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान में भी वादी का ही कब्जा काश्त है, खसरा न. 1104 व 1103 वादी की खातेदारी में है किन्तु 1551/1103 की	

1 व 2 के नाम दर्ज वाद वर्णित सम्पूर्ण आराजी खसरा सं. 1103 का रकबा 11-13-00 था जो जमाबंदी सं. वत 2048 के खाता सं. 229 में वादी के दादाजी के नाम दर्ज था। प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। किन्तु वादी अकेला और गरीब आदमी है इसलिए दिनांक 24-06-15 से आराजियात पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं अतः दावा पेश किया है। वादी का वाद डिक्री किया जावे खसरा नं. 1551/1103 रकबा 3-13-00 किस्म बारानी 3 का बाक्य ग्राम कल्याणपुरा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम विलोपित किया जावे प्रतिवादीगण

उनके रिश्तेदार आदि को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वाद वर्णित आराजी का विक्रय हस्तान्तरित नहीं करे न ही वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करे। प्रतिवादीगण की ओर विद्वान अभिभावक सूर्यकान्त दाधीच ने वकालतनामा पेश किया। उन्होंने बताया की खसरा न. 1551/1103 प्रतिवादी सं. 1 व 2 की खातेदारी में है तथा खसरा न. 1104-1103 भी हमारे कब्जे में है। वादी के कब्जे काश्त में होने के कथन गलत वर्णित होने से अस्वीकार है। वाद वर्णित आराजी खसरा न. 776 रकबा 41 बीघा था जो बिरमा, छोगा, हजारी, किशना, पांचु, हरदेव, निवासीगण टांटोटी के नाम आवंटन हुआ है। उन छह व्यक्तियों के साथ अर्जुन, बालू, कालु, हरचन्द, भिंया, भूरा, मगना, भागु, हिरा इत्यादी इस प्रकार कुल 15 व्यक्तियों का कब्जा काश्त चला आ रहा था। सभी काश्तकार ने ढाई - ढाई बिघा का कब्जा काश्त का स्वीकार कर इस आशय की लिखा-पढ़ी स्वीकार की थी तभी से सभी का कब्जा चला आ रहा है। वादी ने जबरन रूप से प्रतिवादी के कब्जे काश्त की आराजी को हड़पने की नियत से झूठा वाद प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम विधिवत नामान्तकरण होकर आया है इसलिए भी वादी का कोई क्लेम इस आराजी पर नहीं बनता है। क्योंकि वादी ने कभी भी नामान्तकरण की अपिल नहीं की अतः वादी को घोषणा करवाने का कोई अधिकार नहीं है वादी का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है।

FORM NO.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत....................................मुकाम..

....बनाम..

किस्म मुकदमा..न. ....सन्.......................................

- बादी प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा अनुतोष नहीं ले सकता क्योंकि वे खातेदार- काश्तकार नहीं है। काउंटर क्लेम प्रस्तुत करते हुए बताया कि वादी ने कतई गलत झूठे फर्जी, मनगढंत, निराधार तथ्य अंकित कर झूठा वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादवर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है उन्हें हैरान परेशान करने की नियत से झूठा वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। यह वाद प्रिंसीपल ऑफ वेवर, डिले एवं एक्वीसियेन्स के अनुसार चलने योग्य ना होकर खारीज होने योग्य है। वाद पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC के अनुसार भी चलने योग्य नहीं है प्रतिवादीगण वादी से हरजा-खर्चा प्राप्त करने के अधिकारी है। काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की वे प्रतिवादीगण 1 व 2 के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे जवाब प्रस्तुत होने पर तनकिहात कायम की गई।

(1) आया वादपत्र में अंकित खसरा नम्बर 1553/1103 रकबा 03.13.00 बीघा का वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने का हक रखता है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम विलोपित करवाने का हक रखता है।

(2) आया वादी प्रतिवादीगण को सदैव के लिए वाद पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित आराजी में वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने दीगर को विक्रय हस्तान्तरित करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

3. आया वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1551/1103 प्रति० सं० 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, तथा खसरा न० 1104 व 1103 प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में होने से वादी खातेदार होने का अधिकारी नहीं है वादी का वाद चलने योग्य नहीं है खारिज किये जाने योग्य है।

4. आया वाद वर्णित आराजी खसरा न० 1551/1103 प्रति० संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। अतः वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त उपयोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

वकील वादी शहादत पेश करना नहीं चाहते हैं। सीधे बहस करने का निवेदन किया, नैसर्गिक न्याय की भावना को देखते हुए बहससुनी गई तथा तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है -

तनकी नं० 1 - 1551/1103 रकबा 3-13 छगनलाल, मिश्रीलाल पि० भागु कौम चमार के नाम खाता सं० नया-पुराना 76-165 जमाबंदी ग्राम कल्याणपुरा संवत् 2067-70 में दर्ज है किन्तु पूर्व की जमाबंदी संवत् 2028 में खसरा न० 1103 रकबा 11-13-00 बिरमा पि० ओंकार चमार साकिन दैह कि गैर खातेदारी में दर्ज था। जिसके बाद में दो नम्बर 1103/1 व 1103/2 बने जो बिरमा वल्द ओंकार कौम चमार के खसरा न० 1103/1 में 8 बीघा तथा भागु वल्द बिरमा के 1103/2 में 3 बिघा 13 बिस्वा दर्ज है। अतः तहसीलदार टोंटी मिलान क्षेत्रफल अनुसार जांच करके दुरुस्ती की कार्रवाई नियमानुसार करें। इस हद तक यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न० 2 वादी खसरा न० 1103 में रकबा 11 बिघा 13 बिस्वा बिरमा पि० ओंकार कौम चमार की खातेदारी में संवत् 2028 में दर्ज के आधार पर खातेदार घोषित होने का हक रखता है तथा इसी के तहत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक रखता है।

तनकी न० 3 वाद वर्णित आराजी खसरा न० 1551/1103 प्रतिवादी सं० 1 व 2 की खातेदारी में है किन्तु उनके जवाब से यह भलि भाँति सिद्ध नहीं हो रही है कि उनकी खातेदारी कैसे हुई। अतः यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

Scanned by CamScanner

FORM NO.3

फ़र्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.......................................मुकाम.......................................

....बनाम.......................................

किस्म मुकदमा.......................................न. ....सन्.......................................

तनकी न० 4 खसरा न० 1551/1103 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। अतः वादी को कब्जे काश्त में पाबंद करने का अधिकार प्रतिवादी रखते हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

अनुतोष

तनकी न० 1 व 2 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तथा तनकी न० 3 आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में तथा तनकी न० 4 प्रतिवादी के पक्ष में पाई जाने से यह वाद वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

निर्णय

अतः ग्राम कल्याणपुरा की जमाबंदी संवत 2067-70 के खाता संख्या नया-पुराना 76-165 खसरा न० 1591/1103 रकबा 3-13-00 बारानी 3 छगनलाल, मिश्रीलाल पि० भागु कौम बैरवा के नाम दर्ज है। पट्टी नम्बर वर्किंग जमाबंदी के अनुसार बिरमा वल्द ओंकार कौम चमार साकिन देह गैर खातेदार खसरा न० 1103/1 रकबा 8 बिघा तथा भागु वल्द बिरमा कौम चमार गैर खातेदार खसरा न० 1103/2 रकबा 3-13 हो तो तह० टांयोरी बाद जांच रेकॉर्ड में दुरुस्ती की कार्रवाई करें। तदानुसार डिक्री परचा जारी हो।

निर्णय मजमे आम के बानिया में सुनाया गया।

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
.... (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर

सदस्य
लोक अदालत शिविर

Scanned by CamScanner